ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कल्लर में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

1	श्री सुरेन्द्र कुमार पराशर	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

1	श्री औंकार चन्द	01.04.2022 से 30.11.23
2.	श्री संजीव कुमार	01.12.2023 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत कल्लर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना।	0.54
2	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	27.96
3	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.68
4	6.1	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5	7	नियमानुसार रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अधिक/अनियमित भुगतान	0.12
6	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना भुगतान करना ।	0.63
7	9	निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों की अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना ।	0.01
8	10	सम्भावित दुर्विनियोजन करना ।	0.07
9	11	भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल से अधिक भुगतान करना ।	0.01
10	12	एक ही दिन के दोहरे भुगतान बारे ।	पैरे में दिये विवरणानुसार
11	13	प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	5.32

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड देहरा जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा,

कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.05.2024 से 30.05.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एव व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022—2023	07 / 2022	12 / 2022
2023—2024	09 / 2023	09 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 / — बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225 दिनांक 30.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड देहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत कल्लर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	185202.44	127833.00	5382.00	318417.44	134299.00	184118.44
2023–24	184118.44	34143.00	3150.00	221411.44	138938.00	82473.44

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत कल्लर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	1557261.86	3155568.50	50830.00	4763660.36	2509624.10	2254036.26
2023–24	2254036.26	1418963.05	70287.00	3743286.31	947432.59	2795853.72

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,SDP,MPLAD,Relief

A/c No. 20008005944	KCCB Dehra		33712
A/c No. 50055923477	KCCB Bankhandi		398339
A/c No. 50055923502	KCCB Bankhandi		1143378
A/c No.50055923658	KCCB Bankhandi		28513.26
A/c No. 50100315424269	HDFC Dehra	14th FC	1242
A/c No 5010036398493	HDFC Dehra	15th FC	1200729.46
A/c No. 1990000100322902			17673.64
cash in hand			470
		Total	**2824057.36**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)	82473.44
Cash Book Balance on 31.03.2024	24510

Cash Book Balance on 31.03.2024		413658
Cash Book Balance on 31.03.2024		1507.26
Cash Book Balance on 31.03.2024		1200729.46
Cash Book Balance on 31.03.2024		169780
Cash Book Balance on 31.03.2024		26790
Cash Book Balance on 31.03.2024		560540
Cash Book Balance on 31.03.2024		398339
	Total	**2878327.16**
	diffrence	**54269.8**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.54 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों एवं बैंक खातों के शेषों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का बैंक में कम जमा के रूप में बहुत ज्यादा अन्तर ₹54,270/— पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226 दिनांक 30.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 30.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रियासॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹27.96 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹27,95,853/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षकों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. पंचायत राजस्व ₹0.68 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से बसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें । हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखीं जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को **(परिशिष्ट–2)** निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹ 68,400/– वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**गृहकर की माँग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022–2023	22100	23150	45250	0	45250
2023–2024	45250	23150	68400	0	68400

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 228 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹68,400/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत उपरोक्त पंचायत राजस्व किन कारणों से अदत (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6.1 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹4,200/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹ 4,200/–** वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था ।

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि । (₹)**
1	2022–23	3000.00
2	2023–24	1200.00

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 229 दिनांक 30.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में

वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः पूर्व उल्लेखित नियम प्रावधान के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7. खनन सामग्री आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.12 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप अधिक/अनियमित भुगतान के कारण सम्भावित राजस्व हानिः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 12,472/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 230 दिनांक 30.05.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा

अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 12,472/— के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से नियमानुसार वसूली करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :—

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि (₹)
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022—23 व 2023—24	रेत	576	16.31	1.62	26.42	80	2114.00
	बजरी	1046	29.62	1.52	45.02	80	3602.00
	बोल्डर	840	23.78	2.24	53.26	80	4261.00
						कुल :	**9977.00**
					पैनल्टी 25 %		2495.00
						कुल योगः	**12472.00**

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति अनुसार देय रॉयल्टी की वसूली

करना सुनिश्चित करें तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 0.63 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 63,329/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री के माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 231 दिनांक 30.05.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
45, 17.08.22	बिल नं0 79 दि0 03.08.22 मै0 धीमान फैब्रीकेशन	जाला	17000.00	नि0 कुएं पर जाला औंकर चन्द प्रताप चन्द 15th FC
46, 17.08.22	बिल नं0 80 दि0 05.08.22 मै0 धीमान फैब्रीकेशन	जाला	19001.00	नि0 कुएं पर जाला सुरेन्द्र पुत्र फतेह चन्द 15th FC
34, 20.01.24	बिल नं0 581 दि0 08.08.23 मै0 गुलेरिया ब्रदर्ज	सरिया	6030.00	नि0 शिला पटिटका SF
42, 23.03.24	बिल नं0 403 दि0 30.01.24 मै0 गुलेरिया ब्रदर्ज	सरिया	21298.00	नि0 वाटर टैंक 15th FC
			₹63329.00	

9. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों की अपेक्षाकृत राशि ₹1320/— के अधिक भुगतान बारे :—

वित्तीय वर्ष 2022—23 में पंचायत में रेत, बजरी व सोलिंग के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 अमित महाजन की दरें अनुमोदित की गई थीं । परन्तु निम्न विवरणानुसार क्रय की गई सामग्री के बिलों में मै0 राकेश कुमार आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 232 दिनांक 30.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक अदायगी की वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)	अनुमोदित दरों अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)	कार्य का नाम
83, 05.12.22	097, शून्य	Soling 35cft @ 31 = 1085 Sand 60cft@ 45=2700 Bajra 100cft@39=3900 Bajri30cft@38=1140	Soling 35cft @ 21 = 735 Sand 60cft@ 42=2520 Bajra 100cft@32=3200 Bajri30cft@35=1050	1320.00	नि0 सुरक्षा दिवार विजय सिंह घर से रमेश कुमार VKVNY

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

10. ₹ 7174/— का संभावित दुर्विनियोजन करने बारे :—

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया कि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 16 पर अथशेष ₹624/— दर्शाया गया था तथा दिनांक 27.03.2023 को चैक संख्या 312665 द्वारा ₹ 7000/— की राशि बैंक से आहरित की गई थी जिसके विरूद्ध उक्त पृष्ठ अनुसार वाउचर संख्या 134 दिनांक 27.03.23 द्वारा ₹ 2510/— का व्यय स्टेशनरी हेतु बुक किया गया दर्शाया गया, परन्तु ₹ 2510/— स्टेशनरी हेतु किये गये व्यय का वाउचर/बिल अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 17 पर अथशेष ₹ 5114/— था परन्तु उक्त पृष्ठ पर अन्तशेष ₹ 450/— दर्शाया गया था। अतः 2510+4664 = ₹7174/— के संभावित गबन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया गया सकता। जिसे बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 233 दिनांक 30.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ₹ 7174/— की वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

11. ₹ 1000/– की राशि का अधिक भुगतान करने बारे :–

व्यय वाउचर संख्या 25 दिनांक 26.09.23 के अंकेक्षण पर पाया कि ₹2650/– का भुगतान स्टेशनरी हेतु राकेश कुमार को किया गया दर्शाया गया था उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या 95 दिनांक 04.08.23 के माध्यम से ₹1650/– भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था । फर्म को इस तरह ₹1000/– का अधिक भुगतान किया गया था, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त फर्म को पंचायत द्वारा अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 30.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

12. दोहरे भुगतान बारे :–

अंकेक्षण में पाया कि पंचायत बैठक व मनरेगा के मस्ट्रोल में निम्नलिखित पंचायत सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई थी अतः एक ही दिन के दोहरे भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा दोहरे भुगतान की गई राशि की वसूली यथोचित दर से करके सम्बन्धित खाते में जमा बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234/1 दिनांक

30.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त किये गये भुगतान की वसूली उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

नाम	**पंचायत बैठक की तिथि**	**भुगतान राशि (₹)**	**मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि**	**भुगतान राशि (₹)**
श्री चमन लाल	25.05.23	300	740, 16.05.23 से 31.05.23	25.05.23	224.00
	18.07.23	300	2202, 16.07.23 से 31.07.23	18.07.23	240.00
	12.09.23	300	3355, 01.09.23 से 15.09.23	12.09.23	240
श्रीमति कुसुम देवी	25.09.23	300	3807, 16.09.23 से 30.09.23	25.09.23	240

13. प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के आंकड़ों में ₹5.33 लाख की राशि के बहुत ज्यादा अन्तर बारे:–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण

₹5,33,432/–की राशि का निम्नविवरणानुसार बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया । परिणामस्वरूप श्रम व धन के दुरूपयोग/ह्रास के साथ–2 लेखांकन प्रक्रिया में त्रुटि के चलते पंचायत राजस्व के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है:–

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2344895.00
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2878327.00
अन्तर	₹	533432.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234/2 दिनांक 30.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 05.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. **लघु आपित्त विवरणिका** :—इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. **निष्कर्ष** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
का0/प्रति
3874–3878 07 AUG 2024 दूरभाष—0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)416/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कल्लर, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046
का0/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kallar" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	0	268250	0	268250	266440	1810
2	VKVNY	200000	512079	14327	726406	463401	263005
3	14TH FC	14665.26	0	1127	15792.26	15811	-18.74
4	15TH FC	753483.6	857677	25663	1636823.6	437296.6	1199527
5	Relief	100000	197234	0	297234	157454	139780
6	ZP	0	50000	0	50000	0	50000
7	SDP	123075	216845	0	339920	19380	320540
8	MPLAD	366038	0	9713	375751	96358	279393
9	MNREGA	0	1053483.5	0	1053483.5	1053483.5	0
	Total Rs.	1557261.86	3155568.5	50830	4763660.36	2509624.1	2254036.26

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kallar" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	1810	198769	0	200579	176069	24510
2	VKVNY	263005	150000	21717	434722	21064	413658
3	14TH FC	-18.74	0	1526	1507.26	0	1507.26
4	15TH FC	1199527	189313	35965	1424805	224075.54	1200729.46
5	Relief	139780	30000	0	169780	0	169780
6	ZP	50000	0	0	50000	23210	26790
7	SDP	320540	240000	0	560540	0	560540
8	MPLAD	279393	125035	11079	415507	17168	398339
9	MNREGA	0	485846.05	0	485846.05	485846.05	0
	Total Rs.	2254036.26	1418963.05	70287	3743286.31	947432.59	2795853.72

Balance as per Bank on 31.03.24

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,SDP,MPLAD,Relief

A/c No. 20008005944	KCCB Dehra		33712
A/c No. 50055923477	KCCB Bankhandi		398339
A/c No. 50055923502	KCCB Bankhandi		1143378
A/c No.50055923658	KCCB Bankhandi		28513.26
A/c No. 50100315424269	HDFC Dehra	14th FC	1242
A/c No 5010036398493	HDFC Dehra	15th FC	1200729.46
A/c No. 1990000100322902			17673.64
cash in hand			470
	Total		2824057.36

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)	82473.44
Cash Book Balance on 31.03.2024	24510
Cash Book Balance on 31.03.2024	413658
Cash Book Balance on 31.03.2024	1507.26
Cash Book Balance on 31.03.2024	1200729.46
Cash Book Balance on 31.03.2024	169780
Cash Book Balance on 31.03.2024	26790
Cash Book Balance on 31.03.2024	560540
Cash Book Balance on 31.03.2024	398339
Total	2878327.16
diffrence	54269.8

Financial Position of Own sources in r/o GP Kallar

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	185202.44	127833	5382	318417.44	134299	184118.44
2022-23	184118.44	34143	3150	221411.44	138938	82473.44

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 6 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Kallar **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	22100	23150	45250	0	45250
2023-24	45250	23150	68400	0	68400
		No, of family 463 @50/-			

हस्ताक्षर
दिनांक

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कल्लर
विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा

परिशिष्ट-23
(अविलम्ब प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत कल्लर

क्र. स.	मास	कार्यों का नाम	बिल न. दिनांक	क्रेशर रेत् CFT	क्रशर 20,40mm CFT	सोलिंग	राशी	मद
1	2022-23	नि लिंक रोड स्वर्णा देवी के घर से महिला मंडल समेली	राकेश कुमार 051 01/05/2022	150	225	150	20025	VKVNY
2	2022-23	नि. सुरक्षा दीवार विजय सिंह के घर से रमेश कुमार के घर तक	राकेश कुमार 097 05/12/2022	60	130	35	8825	VKVNY
3	2022-23	एम्बुलेंसरोड यशपाल पठानिया के घर से शानिमंदिर गांब कलर	अमित महाजन 083 03/012/2012	130	244	240	18965	Relea
4	2022-23	नि.एम्बुलेंसरोड स्वर्णा देवी, दविंदर पराशर,राजिंदर पराशर	अमित महाजन 085 03/12/2022	146	277.80	285	21743	15th FC
5	. 2023-24	पक्की नाली अर्जुन सिंह की जमीन में	अमित महाजन 132 03/12/2022	90	169	130	12300	15th FC
			कुल योग	576	1045.8	840	81858	

हस्ताक्षर

दिनांक

23